संख्या-15/001/56डब्लू-26-27-3005-129-2024

प्रेषक,

चन्द्र भूषण
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक: 23 मार्च, 2026

विषयः इजरावाद संख्या-02/2024 में मा0 वाणिज्यिक न्यायालय, कानपुर नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.07.2025 एवं आर्बीट्रेशन एप्लीकेशन संख्या-39/2005 मे0 गौतम बिल्डर्स बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 सोल आर्बीट्रेटर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.02.2011 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-744/मु०अ०(अनि)/अनिमं-6/यू-3/भारित मद/रामगंगा, दिनांक 14.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त कानपुर प्रखण्ड निचली गंगा नहर, कानपुर से संबंधित इजरावाद संख्या-02/2024 में मा0 वाणिज्यिक न्यायालय, कानपुर नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.07.2025 एवं आर्बीट्रेशन एप्लीकेशन संख्या-39/2005 मे0 गौतम बिल्डर्स बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 सोल आर्बीट्रेटर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.02.2011 के अनुपालन हेतु धनराशि रूपये 16,15,443.00 (सोलह लाख पन्द्रह हजार चार सौ तैंतालीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व गणनाचक्र की शुद्धता की जांच प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० द्वारा सुनिश्चित रूप से कर ली जायेगी। गलत/त्रुटिपूर्ण भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिकारीगण व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 16,15,443.00 (सोलह लाख पन्द्रह हजार चार सौ तैंतालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखाशीर्षक-4700-33-051-10-14-24 भारित मद के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दम-2025-231/2025, दिनांक 27-मार्च 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
चन्द्र भूषण
उप सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

(3) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

(4) मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

(5) मुख्य अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

(6) मुख्य अभियन्ता (मध्य), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

(7) मुख्य अभियन्ता (रामगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, कानपुर।

(7) अनु सचिव (लेखा) / आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(8) कोषाधिकारी, कानपुर।

(9) अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय मण्डल सिंचाई कार्य, कानपुर।

(10) अधिशासी अभियन्ता, कानपुर प्रखण्ड, निचली गंगा नहर, कानपुर।

(11) सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।

(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।

(14) गार्ड फाईल।

आज्ञा से
चन्द्र भूषण
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।